A 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

अपील संख्या: 85/2020

अजय कुमार पुत्र स्व0 भीमसिंह, जाति गुर्जर, निवासी दूधवा नांगलिया, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

– अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

– रेस्पोडेंट

– – –

अपील बाबत निरस्त किये जाने आदेश दिनांक 13.12.2019 कमांक रसद/अभियोग/2019/1093 द्वारा जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

– – –

उपस्थित : –
1. तैयब हुसैन, एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्रीमती रामावतार, विभागीय पैरोकार – रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

आदेश

दिनांक:– 04.11.2020

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 10.10.2017 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी को जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा कार्यालय आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 1024/2003 को प्रार्थी को ग्राम दूधवा नांगलिया तहसील खेतडी मे राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के उपबन्धों के तहत खाद्य सामग्री विरण हेतु प्राधिकारी पत्र दिया गया था। प्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी द्वारा दिये गये प्राधिकार पत्र संख्या 1024/2003 के तहत ग्राम दूधवा नांगलिया मे उचित मूल्य दुकान पर खद्य सामग्री का वितरण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त दुकान पर किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की गई है। अपीलार्थी को गांव मे राजनैतिक द्वैषता के चलते अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा समय-समय पर अपने उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया गया है किसी भी उपभोक्ता को उपलब्ध खाद्य सामग्री के मुताबिक राशन वितरण किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही बरती गई है। अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकान को नियमानुसार समय पर

खोला गया है और कभी भी उक्त दुकान को बन्द नही रखा गया है और दुकान खोलने पर नियमानुसार सभी उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा गेहूं की पीडीएस राशि संस्था मे जमा करवाने हेतु समय मांगा गया था क्योंकि पैसे जमा करवाने की दिनांक तक प्रार्थी के घर मे माता के बीमार होने के कारण राशि जमा करवाने का समय बीत चुका था इसलिए अपीलार्थी ने सक्षम अधिकारी से पैसे जमा करवाने हेतु समय मांगा लेकिन प्रार्थी को समय नही दिया गया। अपीलार्थी नियमानुसार उक्त राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलार्थी को बिना उचित सुनवाई के प्रार्थी का लाईसेन्स निरस्त किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है इसलिए अपीलार्थी का उक्त लाईसेन्स क्रमांक 1024/2003 को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 13.12.2019 क्रमांक रसद/अभियोग/2019/1093 द्वारा जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को निरस्त किया जाना न्यायोचित है तथा प्रार्थी को नियमानुसार उक्त लाईसेन्स क्रमांक 1024/2003 को पुनः बहाल किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी की माता बीमार होने के कारण घर मे एकमात्र पुरूष होने के कारण अपनी माता की देख-संभाल मे लगे होने के कारण प्रार्थी अपील पेश नही कर सका अब नियमानुसार प्रस्तुत अपील पेश की जा रही है जो अन्दर मियाद पेश है फिर भी कोई कानूनी नुक्स ना रहे इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपीलार्थी की ओर से अपील पेशकर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 13.12.2019 क्रमांक रसद/अभियोग/2019/1093 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का लाईसेन्स नम्बर 1024/2003 पुनः बहाल किया जाकर ग्राम दूधवा नांगलिया तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं का राशन वितरण अपीलार्थी द्वारा किय जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त दुकान पर किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की गई है। अपीलार्थी द्वारा समय-समय पर अपने उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया गया है किसी भी उपभोक्ता को उपलब्ध खाद्य सामग्री के मुताबिक राशन वितरण किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही बरती गई है। अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकान को नियमानुसार समय पर खोला गया है और कभी भी उक्त दुकान को बन्द नही रखा गया है और दुकान खोलने पर नियमानुसार सभी उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा गेहूं की पीडीएस राशि संस्था मे जमा करवाने हेतु समय मांगा गया था क्योंकि पैसे जमा करवाने की दिनांक तक प्रार्थी के घर मे माता के बीमार होने के कारण राशि जमा करवाने का समय बीत चुका था इसलिए अपीलार्थी ने सक्षम अधिकारी से पैसे जमा करवाने हेतु समय मांगा लेकिन प्रार्थी को समय नही दिया गया। अपीलार्थी नियमानुसार उक्त राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 13.12.2019 क्रमांक रसद/अभियोग/2019/1093 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी का लाईसेन्स नम्बर 1024/2003 पुनः बहाल किया जावे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलांट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट गेहूं की पीडीएस राशि विभाग को जमा नही करवाई गई है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपीलान्ट पर केवल एकमात्र आरोप है कि उसके द्वारा गेहूं की पीडीएस राशि जमा नही करवाई गई है। इसके अलावा अपीलान्ट पर और कोई अन्य आरोप नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा गेहूं की पीडीएस राशि नियमानुसार जमा करवाने पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से बहाल करे। निर्णय की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर शामिल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं